



2026:AHC:2655

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44233 / 2025

आबिद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: अजय कुमार शर्मा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार शर्मा, सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार तथा राज्य-विपक्षी पक्ष की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक आबिद की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 359 वर्ष 2025, धारा 136 भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003, थाना बुढाना, जनपद मुजफ्फरनगर में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 08.09.2025 से जेल में निरुद्ध है। उसका 6 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण जमानत प्रार्थना पत्र के अनुच्छेद संख्या 9 में दिया गया है, तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होता। आवेदक सह-अभियुक्त कामिल के साथ समानता का दावा कर रहा है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 38790 वर्ष 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, क्योंकि उसकी भूमिका सह-अभियुक्त कामिल के समान है। यह भी कहा गया कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। अतः जमानत दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. सूचक के अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध किया।
6. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित किए जाने की आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।
7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
8. अभियुक्त-आवेदक आबिद, को जो की उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों के प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—
  - (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
  - (ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
  - (iii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा/धमकाएगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
  - (iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके व्यक्तिगत उपस्थित होने से अधिवक्ता के माध्यम से छूट न दी जाए।
9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(श्री अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 5 जनवरी, 2026

विभा सिंह